फर्द अहकाम

रमानिवास बनाम राज. सरकार

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रकरण संख्या............04.../2024 [illegible]

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	03.4.25	वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 25.4.25 को पेश हो।
	25.4.25	वकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दोरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 2..5..25 को पेश हो। TDR पावटा दिनांक 15/4/25 को [illegible] पावटा [illegible]
	02.05.25	पत्रा० पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। [illegible] Adv उपर प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में ~~निवेदन किया कि तहसीलदार कि रिपोर्ट~~ प्राप्त हो चुकी है, रिपोर्ट के अनुसार प्र.पत्र 251-ए स्वीकार कर वास्ते के आदेश ~~फरमाने की कृपा करें।~~ जिस पर तहसीलदार अप्रार्थी [illegible] ने सहमति प्रदान की। बहस पश्चात निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। वास्ते [illegible] पत्रावली दिनांक 05/05/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)
	05.05.25	पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। [illegible] प्रार्थी प्र०पत्र 251-ए [illegible] किया जाता है। निर्णय पृथक से [illegible] किया। तहसीलदार [illegible] हो। पत्रावली [illegible] कुमार होकर [illegible] से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:29:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री कपिल कुमार (RAS)**
प्रार्थना पत्र संख्या :– **04/2024** **दायर दि. 29.04.2024**
जीसीएमएस संख्या :– **2024/269**

उनवान–मुकदमा

रामस्वरूप पुत्र सुवा जाति मीणा निवासी बुचारा तहसील पावटा जिला कोटपूतली– बहरोड राजस्थान । **प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड **अप्रार्थी**

2. अमरसिंह पुत्र पूरण
3 बनारसी पत्नि पूरण
4. रामकरण पुत्र सुवा
5. हरिसिंह पुत्र सुवा

समस्त जाति मीणा निवासी बुचारा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान ।

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

निर्णय दिनांकः 05.05.2025

1. प्रार्थी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री हजारीलाल यादव के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत धारा 251–ए आरटीएक्ट निम्नानुसार पेश है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 लगायत 05 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी हाल खसरा नंबर 561/1.27 वौके मौजा बुचारा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड में स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने का कोई रास्ता वर्तमान में रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। आराजी हाल आबाद खसरा नंबर 561/1.27 वौके मौजा बुचारा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड के खातेदार काश्तकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 05 है। उक्त भूमि में आराजी खसरा नंबर 560/1/0.13 गैर मुमकिन सडक से आराजी खसरा नंबर 560/2.90 बारानी 2 वाके मौजा बुचारा में से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 02 लगात 05 अर्सा कदीम से अपने खेतो व कुऐ पर आते जाते है अपने वाहन, पशु वगैरह लाता ले जाता चला आ रहा है उक्त रास्ता 30 फुट चौडा है। जो खसरा नंबर 560/290 के सहारे सहारे प्रार्थी की भूमि तक आता है। जिससे होकर प्रार्थी अपनी भूमि में आता जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपने खेतो में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता संलग्न नक्शे में बरंग सुर्ख लाल रंग से दर्शित किया गया है। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 561/1.27 वौके मौजा बुचारा, तहसील पावटा में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 05 की आराजी में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 560/2.90 वाके मौजा बुचारा, में स्थित है। जिसे संलग्न नक्शे में बरंग सुर्ख लाल रंग से दर्शाया गया है। जिसमे सुगमता से 30 फुट चौडा रास्ता उपलब्ध हो सकता है। जिसमें अन्य असामाजिक तत्व मलबा रोडी पत्थर डालकर रास्ता अवरुद्ध करते है। जबकि प्रार्थी के पास अपनी उपरोक्त वर्णित आराजी में आने जाने हेतु तथा वाहन आदि लाने ले जाने हेतु अन्य कोई सुगम रास्ता उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2. वाद प्रकरण प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु बाधा उत्पन्न होने पर पैदा हुआ है। आराजी मुतादविया व फरीकेन न्यायालय श्रीमान के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। अतः श्रीमान को प्रार्थन पत्र सुनने व तैय करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद नियत न्यायशुल्क पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा नंबर 561/1.27 वौके मौजा बुचारा में आने जाने हेतु रास्ता 30 फुट चौडा रास्ता आराजी खसरा नंबर 560/2.90 वाके मौजा बुचारा में जिसे संलग्न नक्शे में बरंग सुर्ख लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है जो राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर व राजस्व नक्शा में तरमीम कर रास्ता दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे। अन्य कोई दादरसी जो माननीय न्यायालय वादी/प्रार्थी के पक्ष में उचित समझे प्रदान की जावे।

3. प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जारी किया गया। तरतीबी अप्रार्थी सं. 03 लगायत 05 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश शर्मा ने उपस्थित आकर इकबालिया जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है कि 1. यह कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नंबर 01 लगायत 04 स्वीकार है तथा जिम्मन नंबर 05 लगायत 07 कानूनी है स्वीकार है। तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपनी सहमति जाहिर की। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने आदेशिका पर लिखकर कर निवेदन किया है कि तरतीबी अप्रार्थी संख्या 02 से कोई रिलिफ नही चाहिए। तहसीलदार को रास्ते बाबत् मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर दिनांक 21.10.2024 को जारी की गई जिस तहसीलदार क्रमांक : भू.अ./25/829 दिनांक 09.04.2025 द्वारा दिनांक 15.04.2025 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जो आगामी नियत दिनांक को शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार पावटा से प्राप्त रास्ता बाबत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने हेतू निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने व पशु, कृषि संसाधन लाने व ले जाने के लिए तहसीलदार पावटा की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.04.2025 के अनुसार रास्ता स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

4. हमने बहस पर गोर किया तथा प्रकरण के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड शाहदत एवं तहसीलदार पावटा की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर मनन किया। प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार पावटा की ओर से प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 09.04.2025 के आधार पर प्रार्थीया को रास्ता उपलब्ध करवाया जाना हम उचित एव न्यायसंगत समझते हैं। ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार रास्ते की भूमि का मुआवजा निर्धारित कर रास्ता स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:29:09 IST
Reason: SelfAttested

5. फलतः प्रार्थी का प्रकरण अन्तर्गत धारा 251– राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 तहसीलदार पावटा की रिकार्ड एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 09.04.2025 के आधार पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 561/1.27 वाके मौजा बुचारा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में आवमगन तथा पहुंच के लिए ग्राम बुचारा स्थित अप्रार्थी की आराजी आ.ख.नं. 560 रकबा 1.27 हैक्ट0 सिवायचक में से लम्बाई 67 मीटर एवं चौड़ाई 06 मीटर कुल 402 वर्गमीटर भूमि गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया

उपखण्ड अधिकारी
पावटा–कोटपूतली बहरोड़

जाता है तथा तहसीलदार पावटा को आदेश दिये जाते हैं कि वे उक्त स्वीकृत रास्ते की भूमि की खातेदारी में से अप्रार्थी का नाम कलमजन कर उक्त गैर मुमकिन रास्ते की भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दर के हिसाब से भूमि की कीमत का आंकलन कर उसका दोगुणा प्रतिफल की राशि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थी/परोकार सरकार (खातेदारान) को राजस्व रिकार्ड में दर्ज उनके हिस्से की भूमि के रकबे अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करें तथा स्वीकृत रास्ते की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम करवावें। तहसीलदार पावटा की रिकार्ड एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 09.04.2025 इस निर्णय की जुज समझी जावे। तदानुसार तहसीलदार पावटा को पालनार्थ निर्णय की प्रति के साथ तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:29:09 IST
Reason: SelfAttested